

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 04/2024

अपीलांट—

बनाम

रेस्पोंडेंट्स—

सगताराम पुत्र नगाराम जाति
मेघवाल निवासी जसाई तहसील
व जिला बाड़मेर

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बाड़मेर
 2. चान्दाराम पुत्र नगाराम
 3. खाकूराम पुत्र सगताराम
 4. अन्तराराम पुत्र नगाराम
 5. चोला पुत्र तगा के कायम मुकाम
 - 5.1 श्रवणकुमार पुत्र चोलाराम
 - 5.2 इंदरीदेवी पुत्री चोलाराम
 - 5.3 कुटलीदेवी पुत्री चोलाराम
 - 5.4 नाजूदेवी पुत्री चोलाराम
 - 5.5 राम्बीदेवी पुत्री चोलाराम
 - 5.6 हरियादेवी पत्नी चोलाराम
 6. नाथाराम पुत्र तगाराम
 7. तामला पुत्र तगा के कायम मुकाम
 - 7.1 केवलाराम पुत्र तामलराम
 - 7.2 मोहनलाल पुत्र तामलराम
 - 7.3 जीयो पुत्री तामलराम
 - 7.4 बादली पत्नी तामलराम
 8. टीकमा पुत्र नगा के कायम मुकाम
 - 8.1 अकीदेवी पत्नी टीकमाराम
 9. शेरा पुत्र नगा के कायम मुकाम
 - 9.1 अशोककुमार पुत्र शेराराम
 - 9.2 विरधाराम पुत्र शेराराम
 - 9.3 पप्पुदेवी पत्नी शेराराम
- जातियान मेघवाल निवासी जसाई
तहसील व जिला बाड़मेर



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध
आदेश क्रमांक 05 दिनांक 10.11.2010 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित
किया।

उपस्थिति :-

1. श्री नरपत पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।



जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. श्री महेन्द्रसिंह सोढा, रेस्पोंडेंट संख्या 3,4,5.1,5.6,6,7.1,7.2,7.4,8.1,9.1,9.2,9.3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार
4. अवशेष रेस्पोंडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 25.02.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोंडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम मंशाणियों की बस्ती पटवार क्षेत्र जसाई के खसरा नंबर 63 कुल रकबा 136-08 बीघा भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 10.11.10 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मंशाणियों की बस्ती पटवार क्षेत्र जसाई के खसरा नंबर 63 कुल रकबा 136-08 बीघा भूमि के खातेदारान चान्दा, सगता, खाकू, अन्तरा पि0 नगा चोला, नाथा, तामला, टीकमा, शेरा पि0 तगा कौम मेघवाल निवासी परा ने दिनांक 10.11.10 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी जसाई द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.10 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.01.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।
3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट सं. 2से9 ने आपसी सहमति से माफिक बाहमी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार कृषि जोतों का विभाजन करने बाबत रेस्पोंडेंट



(Handwritten signature)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सं. 1 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन में मुख्य बात यह तय हुई थी कि किसी भी पक्षकार का घर व पानी के टांके प्रभावित नहीं होंगे तथा कोई भी पक्षकार आवागमन के रास्ते, कृषि कार्य में एक दूसरे को किसी प्रकार की रूकावट नहीं करेंगे। इस आश्वासन पर रेस्पोंडेंट सं. 2से9 पर विश्वास कर अपीलांत ने कुछ खाली पेपर्स पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानात किये लेकिन उक्त पेपरों के साथ संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग भरे हुए नहीं थे तब रेस्पोंडेंट सं. 2से9 को अपीलांत ने कहा कि इस नक्शा में रंग क्यों नहीं भरे है तो रेस्पोंडेंट ने बताया कि बाद में पटवारी मौका पर कब्जा-काश्त अनुसार घर, टांको, कब्जा-काश्त को बिना प्रभावित करते हुए तथा आवागमन के रास्तों को ध्यान में रखते हुए सही रंग भरेंगे। किन्तु रेस्पोंडेंट सं. 2से9 ने हल्का भूअ निरीक्षक से मिलावट कर नक्शा अपनी मनमर्जी से रंग भरवा कर कागजात रेस्पोंडेंट सं. 1 के समक्ष पेश किये तथा दिनांक 10.11.10 को अपीलांत को धोखे में रखकर अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पोंडेंट सं. 2से9 ने अपनी सुविधानुसार बंटवाड़ा करवा दिया। अपीलाधीन विभाजन मौका पर कब्जा-काश्त अनुसार नहीं किया है जिससे अपीलांत की ढाणियां तथा टांके प्रभावित हो रहे हैं तथा जो रास्ता काटा गया है वह कहीं भी रोड़ से जुड़ा हुआ नहीं है, जिससे अपीलांत को भारी दुविधा होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की गई है, इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

5. अपीलांत के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस प्रकरण में दिनांक 10.11.10 को मौका की स्थिति से भिन्न तरीके से निर्णय पारित करने का पूर्व में कोई ज्ञान नहीं था कुछ अर्सा पूर्व रेस्पोंडेंट्स सं. 2से9 द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तथा अपीलांत की रहवासी ढाणियां पानी के टांके अपने हिस्से में आने का बताया तब दिनांक 21.12.2023 को आवश्यक नकलें मांगी जो नकलें तैयार होकर दिनांक 21.12.2023 प्राप्त हुई जिसे पढवाने व देखने से सर्वप्रथम उक्त गलत निर्णय का ज्ञान हुआ। इस प्रकार ज्ञान होने की तारीख से अपील अन्दर मयाद पेश है, ऐहतियातन हुई देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र साथ में पेश हैं। अतः अपीलांत की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.10 को निरस्त फरमाया जावें। इसके साथ ही अपीलांत व रेस्पोंडेंट सं. 2से9 के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा-काश्त अनुसार पुनः किये जाने का आदेश फरमावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा मंशाणियों की बस्ती पटवार क्षेत्र जसाई के खसरा नंबर 63 कुल रकबा 136-08 बीघा भूमि के खातेदारान चान्दा, सगता, खाकू, अन्तरा पि0 नगा चोला, नाथा, तामला, टीकमा, शेरा पि0 तगा कौम मेघवाल निवासी परा ने दिनांक 10.11.10 को तहसीलदार



श्री

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी जसाई द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित है। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.10 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब रेस्पोंडेंट के कब्जे-काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा मंशाणियों की बस्ती पटवार-क्षेत्र जसाई के खसरा नंबर 63 कुल रकबा 136-08 बीघा भूमि के खातेदारान चान्दा, सगता, खाकू, अन्तरा पि0 नगा चोला, नाथा, तामला, टीकमा, शोरा पि0 तगा कौम मेघवाल निवासी परा ने दिनांक 10. 11.10 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी जसाई द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित है। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.10 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया।

8. अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा हल्का भू.अ. निरीक्षक से मिलीभगत कर अपीलांट के खाली कागजों पर हस्ताक्षर अंकित करवाकर अपनी सुविधा अनुसार एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन के संबंध में विधिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों को देखे बिना ही विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। इस संबंध में अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि तहसीलदार बाड़मेर ने अपने आदेश में स्पष्ट




जिला कलेक्टर
बाड़मेर


उल्लेख किया हैं कि "यह भूमि विभाजन का सहमति पत्र (एग्रीमेंट) सभी खातेदारों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है। भूमि विभाजन सहमति पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। सभी सहखातेदार भूमि विभाजन पत्र से सहमत हैं।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ है, जिसकी पहचान श्री जोगाराम द्वारा की गई है, ऐसे में अपीलांट का यह कथन दस्तावेजी साक्ष्यों से परे हैं कि अपीलाधीन विभाजन के नक्शे में प्रस्तावित तरमीम बाबत उसकी सहमति एवं जानकारी नहीं थी।

9. इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट की उपस्थिति एवं सहमति के आधार पर पारित किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं तथा इसके विरुद्ध यह अपील करीब तेरह वर्ष से अधिक समयावधि बाद प्रस्तुत की गई हैं जो मयाद बाहर हैं। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा मयाद के संबंध में उल्लेखित कारण संतोषप्रद नहीं होने से एवं अपील के आधार मनगढत प्रस्तुत करने से वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है ऐसे में सहमति से भूमि विभाजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध तेरह वर्ष से अधिक समयावधि बाद प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। लिहाजा अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर